



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 3, 2005/माघ 14, 1926

No. 111]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 3, 2005/MAGHA 14, 1926

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2005

New Delhi, the 3rd February, 2005

क्र.आ. 159(अ). केन्द्र सरकार, समय-समय पर संशोधित किरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 के खंड 11 के अनुसरण में मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) कुथेथुर, डाकघर वरास्ते काटिपल्ला, मूडापडाव, मंगलोर-574149 और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल), मेकर तीसरा तल, चैम्बर्स-IV, 222, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021 को उक्त नियंत्रण आदेश के खंड 3ख के उपबंधों से निम्नलिखित शर्तों पर उन्मुक्त करती है:—

S.O. 159(E).—In pursuance of Clause 11 of the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Order, 1993, as amended from time to time, the Central Government hereby exempt the Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL), Kuthethoor P.O. via Katipalla, Moodapadav, Managalore-574149 and Reliance Industries Limited (RIL), 3rd Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai-400 021 from the provisions of clause 3B of the said Control Order subject to following conditions:—

- (i) किरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 के बाकी सारे उपबंध लागू होंगे।
- (ii) यह अनुमति इस शर्त पर है कि तेल विपणन कंपनियों की पूरी मांग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किरोसीन वितरण की मांग पूरी करने के बाद ही उत्पाद गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ताओं को बेचना होगा।
- (iii) एमआरपीएल और आरआईएल को तेल विपणन कंपनियों को उनकी जरूरत के अनुसार उत्पाद उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।
- (iv) यह अनुमति अनन्तिम है।

- (i) All other provisions of Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Order, 1993 would remain applicable.
- (ii) The permission is subject to the condition that full demand of the Oil Marketing Companies for Distribution of Kerosene under the Public Distribution System should be met before marketing the product to non Public Distribution System Consumers.
- (iii) It will be obligatory on the part of MRPL and RIL to make available the product to the Oil Marketing Companies as per their requirement.
- (iv) The permission is provisional.

[फा०सं० पी-11013/22/04-वितरण]

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

[F. No. P-11013/22/04-Dist]

A.K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.